by the Government, which have the force of law. A court which has large arrears to contend with has now to undertake an unnecessary burden by seven of its members assembling to decide all sorts of constitutional questions, no matter what their weight or worth. It is hoped that art. 144A will engage the prompt attention of the Parliament so that it may, by general consensus, be so amended as to leave to the Court itself the duty to decide how large a Bench should decide any particular case."

भारतीय तेल निगम द्वारा बिहार में पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि अर्जन

5731. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की ओर से पाइपलाइन बिछाने के लिये पटना जिला (बिहार) के दशरथी पकडी, सिपरा, गांवों की भूमि 1969 के मुकदमा संख्या 26 और 55, 1970 के मुकदमा संख्या 3 और 6 और 1972 के मुकदमा संख्या 87 के माध्यम से अर्जित की गई थी;

(ख) क्या जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई थी उन्होंने इस आशय का मुकदमा दायर किया था कि उन को दी गई राशि कम थी और क्या विशेष भूमि अर्जन न्यायाधीश 11, पटना की अदालत में दायर भूमि अर्जन मुकदमा संख्या 4 और 5 में 12 अगस्त, 1976 को निर्णय दिया गया था और किसानों के पक्ष में डिग्री दी गई थी जिसके विरुद्ध सरकार ने कोई अपील नहीं की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डिग्री की राशि अदा करने का है और यदि हां, तो उस का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : जी, हां ।

(ख) और (ग). यह एक तथ्य है कि किसानों द्वारा दायर किये गये मामलों के संबंध में भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश 11, पटना ने 12-8-1976 को एक निर्णय द्वारा यह पारित किया था और उन्होंने किसानों के पक्ष में डिग्री भी दे दी थी । बिहार सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है । तथापि भूमि अधिग्रहण कार्यालय ने आई० ओ० सी० से अभी डिग्री से संबंधित धनराशि की मांग करनी है । इस धनराशि के प्राप्त हो जाने पर भूमि अधिग्रहण कार्यालय इसे न्यायालय में जमा करायेगा तत्पश्चात संबंधित भूमि स्वामियों को भुगतान किया जायगा ।

Demilitarisation of Indian Ocean

5732. SHRIMATI MRINAL GORE:

DR. BAPU KALDATY:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether he had discussed the problem of demilitarisation of Indian Ocean with the leaders of the delegations of U.S.S.R. and U.S.A. at the recent U.N. Conference on Law of the Sea; and

(b) if so, the details of the discussion?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.